दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन 'ओ' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्-द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस **(30) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर/संपर्क नम्बर और ई-मेल आई.डी. भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधनः

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो.-2021 और जोन-ओ की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है।	सीमाएं
बदरपुर थर्मल पॉवर स्टेशन के समीप फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट।	26.0 हैक्ट. (64.22 एकड़)	विनिर्माण (उपयोग जोन एम-2)	मनोरंजनात्मक (उपयोग जोन पी-2)	**उत्तरः** विद्यमान कार्ट ट्रैक **दक्षिणः** जैतपुर नाला **पूर्वः** ऐश डाईक क्षेत्र (फेज - III) का पुश्ता। **पश्चिमः** जैतपुर से ऐश डाईक क्षेत्र (फेज-1 तक नाला)।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली में उपलबध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् **www.dda.org.in** पर भी उपलब्ध हैं।

फाइल सं. एफ 3(56)/89-एम.पी./पार्ट-I
दिनांकः 03.09.2019
स्थानः नई दिल्ली।

-हस्ता/-
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें

कृपया दि.वि.प्रा की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें